|| श्री गणेशाय नमः ||

1101/08 (74)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

106

824354

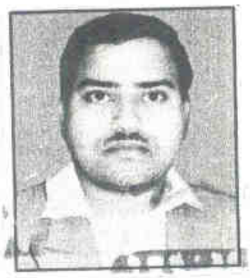

1. भूमि का प्रकार – कृषि भूमि
2. मौहल्ला / ग्राम....मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 0.631 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :– कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन..नहीं

क्रमांक 20 दिनांक 27/04/08 मूल्य 25

नाम श्री .... पुत्र ....

[illegible]

[illegible] 27/04/08

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

824355

कोषागार, मथुरा

27 SEP 2008

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा

(2)

6. बोरिंग / कुंआ / अन्य..नहीं

7. प्रतिफल की धनराशि... 4370000 / –.रूपये

8. स्टाम्प हेतु मालियत 4370000 / –रूपये

9. स्टाम्प देय 305900 / –रूपये

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

824356

(3)

10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर 1200000/-रूपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 4 क्रमांक 29 पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा -प्रथम/द्वितीय

नारायनसिंह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 824357

(4)

विक्रेता की संख्या (2)

विक्रेता का विवरण

नारायन सिंह व बाबू सिंह पुत्रगण श्री किल्लो निवासीगण सतोहा तहसील व जिला मथुरा विकेता प्रथमपक्ष [redacted]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

824358

2 7 SEP 2008

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा

(5)

क्रेता की संख्या (1)

क्रेता का विवरण

एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

824353

(6)

हमकि नारायन सिंह व बाबू सिंह पुत्रगण श्री किल्लो निवासीगण सतोहा तहसील व जिला मथुरा विकेता प्रथमपक्ष [redacted] के हैं

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

824359

(7)

जो कि आराजी सक्रमणीय भूमिधरी खाता नंबर–50 व खसरा नंबर–106 रकवा 0.632 हैक्टेयर लगानी 14.85 रूपया सालाना बाकै मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

824386

(8)

माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। विक्रेता प्रथमपक्ष का ही कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

824387

2 7 SEP 2008

(9)

सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के इस बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

824352

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा
27 SEP 2008

(10)

संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

824351

27 SEP 2008

वरिष्ठ कोषाधिकारी मथुरा

11)

से सरकारी रेट 1200000/–रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी की स्टाम्प हेतु मालियत 4370000/–रूपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही

नारायणसिंह

वा०

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये — RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

06AA 364410

22 SEP 2008

वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा

है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी। प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी ~~[illegible] दिनांक 16.9.2008~~

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

06AA 364409

13

बास्ते खर्च बेचना आवश्यक है।

~~जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर 1 जिल्द 3806 के सफा~~

~~57/308 नंबर 10266 पर हुई है [illegible] किया था [illegible]~~

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 460155

कै० पै० लागत
कोषागार मथुरा
22 SEP 2008
वरिष्ठ कोषाधिकारी
मथुरा

14

[redacted]। अतः उक्त आराजी को समस्त अधिकारों

नारायणसिंह

वाव

Ahmarvel

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 308171

सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष [redacted] को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 4370000/–तैतालीस लाख सत्तर हजार रूपया

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500
FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 308172

जिसके आधे 2185000/–इक्कीस लाख पिच्यासी हजार रूपया होते हैं। बदस्त एस0जे0पी0 ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र श्री उमाशंकर अग्रवाल 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी, गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया

नारायन सिंह

बाबू

RAgrawal

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 308173

और बेच दिया और कीमत का 1500000/–पन्द्रह लाख रूपये खरीदार से इलाहाबाद बैंक मथुरा शाखा के दस किता चैक प्रथम नंबर–956808 तादादी 100000/–रूपये द्वितीय नंबर–956809 तादादी 100000/–रूपये व तृतीय

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 308174

18

नंबर–956810 तादादी 100000/–रूपये व चतुर्थ नंबर–956837 तादादी 200000/–रूपये पंचम नंबर–956838 तादादी 200000/–रूपये छटा नंबर–956839 तादादी 200000/–रूपये सप्तम नंबर–956840 तादादी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 308182

100000 / –रूपये अष्टम नंबर–956841 तादादी 200000 / –रूपये नवम नंबर–956842 तादादी 200000 / –रूपये दसम नंबर–956843 तादादी 100000 / –रूपये [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 308183

20

[illegible]

[illegible] व

शेष 2870000/अठ्ठाईसलाख सत्तर हजार रूपये इकरारनामा द्वारा व भिन्न

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 308184

21

भिन्न तारीखों में पहले पाकर बेची गई उक्त आराजी पर खरीदार का बाकई कव्जा व कव्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो

नारायनसिंह

वा व

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 308185

22

चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी के सम्बन्ध में कभी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 308186

कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 308187

24

व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब विक्रेता प्रथमपक्ष से व उसके वारिसानों व उसकी चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्च के बसूल करलें

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 308188

25

। इसमें प्रथमपक्ष को कोई उज्र नहीं होगा। आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। उक्त

नारायनसिंह, बाबू, BAnmaurel

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 832164

26

आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। बेचे जाने वाली आराजी को संलग्न नक्शे में स्पष्ट रूप से रंग लाल से दर्शाया गया है। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि0–2.8.2006 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 832165

27

में बही नंबर–6 खण्ड 123 के सफा 105/108 पर नंबर–441 पर दिनांक–2.8.2006 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त राम अग्रवाल पुत्र श्री उमांशकर अग्रवाल

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

P 832166

28

निवासी गली ठठेरान शहर मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेताओं ने अपना सम्पूर्ण अंश बेचा है।

नारायण सिंह

वा० वृ

Ramesh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये **Rs. 100**

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH P 832173

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

नोट : सफा 19 की लाइन 3 में शब्द रूपये के बाद की पूरी इबारत व सफा 20 की लाईन 1 पूरी व लाइन 2 में शब्द व से पहले की पूरी इबारत टाईप से कटी है। व सफा 4 की लाइन 4 में शब्द प्रथमपक्ष के बाद की पूरी इबारत व लाइन 5 पूरी व सफा 6 की लाईन 2 में शब्द प्रथमपक्ष के बाद कीपूरी इबारत व लाइन 3 में शब्द के हैं के पहले की पूरी इबारत व सफा 12 की लाइन 3 में शब्द आराजी के बाद की पूरी इबारत व सफा 13 की लाइन 2 व 3 पूरी व सफा 14 की लाइन 1 पूरी व लाइन 2 में शब्द अतः से पहले की पूरी इबारत व सफा 15 में शब्द प्रथमपक्ष व शब्द को प्राप्त के बीच की इबारत पेन से कटी है।
दिनांक–3.10.2008

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

Agarwal

वा 2

गवाह उमेश भारद्वाज पुत्र श्री कैलाश चन्द्र शर्मा गोविन्द पुरी शहर मथुरा

गवाह कैलाश प्रसाद पुत्र प्रतापसिंह गोवर्धन चौराहा मथुरा

क्रमांक 76 दिनांक 29/9/08 मूल्य 100/-

नाम श्री .... पुत्र ....

पता .... hmm (65)

डॉ० नरेश कुमार जाकड़
स्टाम्प वेन्डर
कोषागार, मथुरा

... , मथुरा
डिजिटल लॉक सील
27 SEP
हस्ताक्षर-रोकड़िया

आज दिनांक **03/10/2008** को

वही सं **1** जिल्द सं **5279**

पृष्ठ सं. **269** से **328** पंजीकरण **11012**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

मुकेश श्रीवास्तव
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
3/10/2008

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 07010200101 ग्राम का नाम : सतोहा असगर पुर परगना मथुरा तहसील : सदर

जनपद : मथुरा फसली वर्ष : 1412-1417 . भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकारं प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (है .)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका संराश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00050	किल्लो पुत्र	भरतसिह	नि. ग्राम	1409फ	106	0.6310		1412फ व आदेश श्रीमान रा नि महोदय वाद पक 11 क के क्र 25दि 3.12.04के अनुसार किल्लो मृतक बताया गया मृतक के स्थान पर नारायनसिह,बाबूसिह पुत्रगण किल्लो नि ग्राम का नाम बतौर वारिस दर्ज हो ह.ले.15.1.05 1416फ व आदेश श्रीमान ना तह मथुरा वाद सख्या 35 NTMता फे 15.11.08 के अनुसार खाता सख्या 50 के खसरा सख्या 106 रकवा 0.631हे0 लगानी 14.85रू के नियत सम्पूर्ण अंश से विक्रेता नारायनसिह व बाबू सिह पुत्रगण किल्लो नि सतोहा का नाम प्रथक करके क्रेता एस0जे0पी0ग्लोबल द्वारा साझीदार राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल नि 111श्री जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा का नाम बजरिऐ बैनामा दि 03.10.08 के अकित हो ह स र का 15.11.08	
				कुल गाटे :	1 कुल क्षे :	0.6310	14.85		

हस्ताक्षर

2/11/2011

न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या--53/2011--2012

राम अग्रवाल आदि बनाम सरकार

धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0
मौजा सतोहा असगरपुर

अंतिम आदेश

प्रार्थी राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा आदि के द्वारा प्रस्तुति प्रार्थना--पत्र दिनांक--21.10.2011 में अंकित किया गया है कि वह मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या--431 खसरा संख्या--122 रकवा 0.067हे., खसरा संख्या 120 रकवा 0.067हे. खसरा संख्या--119 रकवा 0.067हे. व खसरा संख्या 121 रकवा 0.068हे भूराजस्व 5.30 रुपये व खाता संख्या-- 69 खसरा संख्या-- 138 रकवा 0.688हे. भूराजस्व 13.55 रुपये तथा एस0जे0पी0ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा खाता संख्या-- 50 खसरा संख्या 106 रकवा 0.631हे. भूराजस्व 14.85 रुपये, खाता संख्या--391 खसरा संख्या--492 रकवा 0.652हे. भूराजस्व 15.15 रुपये व खाता संख्या-- 103 खसरा संख्या--144 रकवा 0.613हे. भूराजस्व 13.10 रुपये व खाता संख्या-- 362 खसरा संख्या 32 रकवा 0.352हे., खसरा संख्या--79/1089 रकवा 0.081हे., खसरा संख्या--772 खसरा 0.008हे. भूराजस्व 10.15रुपये, खाता संख्या--233 खसरा संख्या--523मि. रकवा 0.274हे. भूराजस्व 8.10रुपये के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उक्त भूमि कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नहीं लायी जा रही है। उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में शपथ--पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना--पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक--22.10.2011 प्रस्तुत की गई है, जिसमें अंकित किया गया है कि मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या--431 खसरा संख्या--122 रकवा 0.067हे., खसरा संख्या 120 रकवा 0.067हे., खसरा संख्या--119 रकवा 0.067हे. व खसरा संख्या 121 रकवा 0.068हे भूराजस्व 5.30 रुपये व खाता संख्या-- 69 खसरा संख्या-- 138 रकवा 0.688हे. भूराजस्व 13.55 रुपये के राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा तथा खाता संख्या-- 50 खसरा संख्या 106 रकवा 0.631हे. भूराजस्व 14.85 रुपये, खाता संख्या--391 खसरा संख्या--492 रकवा 0.652हे. भूराजस्व 15.15 रुपये व खाता संख्या-- 103 खसरा संख्या--144 रकवा 0.613हे. भूराजस्व 13.10 रुपये व खाता संख्या-- 362 खसरा संख्या 32 रकवा 0.352हे., खसरा संख्या--79/1089 रकवा 0.081हे., खसरा संख्या--772 खसरा 0.008हे. भूराजस्व 10.15रुपये, खाता संख्या--233 खसरा संख्या--523मि. रकवा 0.274हे. भूराजस्व 8.10रुपये के एस0जे0पी0ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। प्रश्नगत भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदि कृषि के प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है। वर्तमान में मौके पर आवादी प्रसार किया जा रहा है। ईट, गिट्टी आदि निर्माण सामग्री पडी है। प्रस्तावित भूमि विवाद रहित है। प्रस्तावित भूमि सरकारी, अर्द्ध सरकारी, विकास प्राधिकरण आदि के द्वारा अधिग्रहण नहीं की गई है। तहसीलदार, मथुरा द्वारा प्रस्तावित भूमि को धारा 143 ज0वि0एवं भू0व्य0अ0 के अन्तर्गत आवादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है।

क्षेत्रीय लेखपाल श्री जगनन्नाथ भारद्वाज क्षेत्र सतोहा असगरपुर का सशपथ बयान दर्ज किया गया। लेखपाल ने अपने सशपथ बयान दिनांक--9.11.2011 में अंकित कराया है कि मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या-- 431 खसरा संख्या--122 रकवा 0.067हे., खसरा संख्या 120 रकवा 0.067हे., खसरा संख्या--119 रकवा 0.067हे. व खसरा संख्या 121 रकवा 0.068हे भूराजस्व 5.30 रुपये व खाता संख्या-- 69 खसरा संख्या-- 138 रकवा 0.688हे. भूराजस्व 13.55 रुपये तथा एस0जे0पी0ग्लोबल लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर राम अग्रवाल पुत्र उमाशंकर अग्रवाल निवासी जमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा मथुरा खाता संख्या-- 50 खसरा संख्या 106 रकवा 0.631हे. भूराजस्व 14.85 रुपये, खाता संख्या--391 खसरा संख्या--492 रकवा 0.652हे. भूराजस्व 15.15 रुपये व खाता संख्या-- 103 खसरा संख्या--144 रकवा 0.613हे. भूराजस्व 13.10 रुपये व खाता संख्या-- 362 खसरा संख्या 32 रकवा 0.352हे., खसरा संख्या--79/1089 रकवा 0.081हे., खसरा संख्या--772 खसरा 0.008हे. भूराजस्व 10.15रुपये, खाता संख्या--233 खसरा संख्या--523मि. रकवा 0.274हे. भूराजस्व 8.10रुपये संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। प्रश्नगत भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदि कृषि के प्रयोजन में नहीं लायी जा रही है। प्रस्तावित भूमि पर कोई विवाद नहीं है। प्रस्तावित भूमि सरकारी, अर्द्ध सरकारी, विकास प्राधिकरण आदि के द्वारा अधिग्रहण नहीं की गई है।

क्षेत्रीय लेखपाल का बयान दिनांक-- 9.11.2011 एवं तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या दिनांक--22.10.2011 के आधार पर मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या--431 खसरा संख्या-- 122

रकवा 0.067हे., खसरा संख्या 120 रकवा 0.067हे., खसरा संख्या–119 रकवा 0.067हे. व खसरा संख्या 121 रकवा 0.068हे. भूराजस्व 5.30 रुपयें व खाता संख्या– 69 खसरा संख्या– 138 रकवा 0.688हे. भूराजस्व 13.55 रुपये, खाता संख्या– 50 खसरा संख्या 106 रकवा 0.631हे. भूराजस्व 14.85 रुपये, खाता संख्या–391 खसरा संख्या–492 रकवा 0.652हे. भूराजस्व 15.15 रुपये व खाता संख्या– 103 खसरा संख्या–144 रकवा 0.613हे. भूराजस्व 13.10 रुपये व खाता संख्या– 362 खसरा संख्या 32 रकवा 0.352हे., खसरा संख्या–79/1089 रकवा 0.081हे., खसरा संख्या–772 खसरा 0.008हे. भूराजस्व 10.15रुपये, खाता संख्या–233 खसरा सख्या–523मि. रकवा 0.274हे. भूराजस्व 8.10रुपये को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है कि यह उद्घोषणा उक्त भूमि के कृषिक उपयोग में लाये जाने पर तथा मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के प्रवृत्त नियमों/निर्देशों एवं अन्य किसी विधिक प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में स्वतः निरस्त मानी जायेगी। तहसीलदार, मथुरा की उक्त संस्तुति आख्या आदेश का भाग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि यदि उक्त भूमि भविष्य में कृषि कार्य के प्रयोग में लायी जाती है तो तत्काल आख्या प्रस्तुत करें। तहसीलदार की आख्या तथा आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में पंजीकृत करने हेतु तथा एक प्रति सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक–

यह आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक–

सत्य प्रतिलिपि
B.K.
सहायक, उपजिलाधिकारी
मथुरा
14/11/2011